श्रमिक कल्याण के लिए जमा कराएं उपकर राशि

कोटा, (निसं)। उप-श्रम आयुक्त शमिता जैन की अध्यक्षता में कोटा के बिल्डर्स के साथ एक बैठक का आयोजन किया गया। उप-श्रम आयुक्त ने बताया कि भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिकों के नियोजन एवं सेवा शर्तों के विनियमन तथा उनके स्वास्थ्य, सुरक्षा व कल्याण के उपायों के लिए केन्द्र सरकार द्वारा भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक (नियोजन एवं सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1996 बनाया। लाभार्थी कल्याणकारी योजनाएं संचालित करने के प्रयोजनार्थ धनराशि की व्यवस्था के लिए अलग से भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम भी पारित किया गया है जिसके अंतर्गत राजकीय एवं निजी सभी प्रकार के निर्माण कार्यों पर लागत के एक प्रतिशत की दर से उपकर वसूल किए जाने का प्रावधान है। 10 लाख रूपए लागत तक के निजी आवास के निर्माण कार्य को इसमें सम्मिलित नहीं किया गया है। उपकर राशि का उपयोग निर्माण श्रमिकों के कल्याणार्थ काम में आता है। इस कारण सभी भवन निर्माताओं का दायित्व बनता है कि वह स्वेच्छा से निर्माण लागत का असेसमेंट कर निर्धारित समयावधि में निर्माण लागत का 1 प्रतिशत उपकर श्रम विभाग में जमा कराएं।

कार्यालय नगर निगम, कोटा उत्तर (राज0)

email :nnkota@gmail.com, websites : www.kotamc.org

क्रमांक :-ननिको(उ)/राजस्व/ 2025/14471-81 दिनांक: 14.10.2025

ई-निविदा सूचना

नगर निगम कोटा उत्तर द्वारा कोटा उत्तर सीमा क्षेत्र में निम्न विज्ञापन प्रदर्शन के वार्षिक लाईसेन्स हेतु वार्षिक ठेका से राजस्व वसूली हेतु दो वर्ष 2025 से 26 के लिये (कार्यादेश से 1 वर्ष तक) 2 Bid1 Stage प्रद्वति के अनुसार ई-प्रोक्यूरमेंट प्रक्रिया द्वारा ऑनलाईन निविदा आमन्त्रित की जाती है। इच्छुक निविदादाता निविदा प्रपत्र, शर्ते, आवेदन संबंधी समस्त जानकारी एवं सम्पूर्ण विवरण नगर निगम कोटा उत्तर की वेबसाईट www.kotamc.org, http://sppp.rajasthan.gov.in एवं http://eproc.rajasthan.gov.in पोर्टल पर देखी जा सकती है। अन्य जानकारी हेतु नगर निगम के प्रशासनिक भवन में कमरा नं0 307 में सम्पर्क कर सकते है।

NIB NO. -DLB2526A7178
UBN NO. -DLB2526WSRC21701

उपायुक्त
नगर निगम कोटा उत्तर

राज.संवाद/सी/25/12299

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी कोटा विकास प्राधिकरण (केडीए)

क्रमांक: LU2012/KOT/2025-26/100959 **लोक सूचना** दि.15.10.2025

श्री AABID HUSSAIN पुत्र श्री BASHEER MOHAMMED जाति MUSLIM निवासी VIGYAN NAGAR KOTA श्री WASIM ANSARI पुत्र श्री AABID HUSSAIN जाति MUSLIM निवासी VIGYAN NAGAR KOTA श्रीमति ZEENAT NISHA ANSARI पत्नी श्री AABID HUSSAIN जाति MUSLIM निवासी VIGYAN NAGAR KOTA ने इस कार्यालय मे नीचे उल्लिखित भूमि का **अन्य संस्थानिक** प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारी के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है,अर्थात्:-

क्र. सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	क्षेत्रफल (हैक्टे.)
1.	कैथून, लाडपुरा (कोटा)	(1) AABID HUSSAIN S/O BASHIR MOHAMMAD HISSA 1/3 (2) ZEENAT NISHA W/O AABID HUSSAIN HISSA 1/3 (3) WASIM ANSARI S/O AABID HUSSAIN ANSARI HISSA 1/3 JAATI MUSLIM NIWASI GAN VIGYAN NAGAR KOTA	2079	10300	1.03
			2082	4100	0.41
2.	कैथून, लाडपुरा (कोटा)	(1) AABID HUSSAIN S/O BASHIR MOHAMMAD HISSA 1/2 (2) WASIM ANSARI S/O AABID HUSSAIN HISSA 1/2 JAATI MUSLIM NIWASI GAN VIGYAN NAGAR KOTA	2081	1600	0.16
				कुल	1.6

इसलिए इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियो को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क औरा राजस्थान अभिधृति अधिनियम,1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारो के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर अपनी एसएसओ आईडी से लॉग इन कर 90-A For Development Authority (UDH) आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते है। उपर्युक्त नियम समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव मे यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नही है और तद्नुसार मामले का निपटारा किया जावेगा। यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 15/10/2025 को जारी की गयी।

प्राधिकृत अधिकारी कोटा विकास प्राधिकरण (केडीए)

कार्यालय नगर निगम, कोटा-दक्षिण, कोटा, राजस्थान

क्रमांक:-ननिको/जोन-द्वितीय/भ.नि.अनु./2025/1258 दिनांक: 16.10.25

भू-उपयोग परिवर्तन बाबत् सार्वजनिक विज्ञप्ति

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि श्रीमती पटेल रचना मणिलाल उर्फ रचना छबलानी पत्नी श्री दीपेश छबलानी एवं श्री दीपेश छबलानी पुत्र श्री जगदीश छबलानी निवासी आवास संख्या सी-177 तलवण्डी कोटा (राज.) ने नगर निगम कोटा दक्षिण में आवेदन प्रस्तुत कर भूखंड संख्या 2-क-29 विज्ञान नगर कोटा क्षेत्रफल 324 वर्गमीटर का आवासीय से मिश्रित प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन करने का निवेदन किया है। भूखंड संख्या 2-क-29 विज्ञान नगर कोटा क्षेत्रफल 324 वर्गमीटर का स्वामित्व राजस्थान आवासन मंडल कोटा वृत कोटा द्वारा कार्यालय आदेश क्रमांक-1378 दिनांक 25.08.2025 से श्रीमती पटेल रचना मणिलाल उर्फ रचना छबलानी पत्नी श्री दीपेश छबलानी एवं श्री दीपेश छबलानी पुत्र श्री जगदीश छबलानी के नाम हस्तान्तरित किया गया। आवेदकों द्वारा प्रस्तुत आवेदन अनुसार नगर निगम कोटा दक्षिण में उक्त भूखंड का आवासीय से मिश्रित प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन करने की कार्यवाही की जा रही है। उक्त भूखंड का आवासीय से मिश्रित प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन करने में किसी व्यक्ति, संस्था या अन्य किसी को भी जो उक्त भूखंड से संबंध रखता है, को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति जारी होने के 07 दिवस में अपनी आपत्ति लिखित में उपायुक्त नगर निगम कोटा दक्षिण कार्यालय में प्रस्तुत करें। बाद मियाद आपत्ति मान्य नहीं होगी।

उपायुक्त नगर निगम कोटा दक्षिण

राजस्थान आवासन मण्डल कोटा वृत्त कोटा

क्रमांक 2085 **जाहिर आम सूचना** दिनांक - 16.10.25

आवास संख्या 3/124 स्वामी विवेकानन्द नगर, कोटा का आवंटन मण्डल द्वारा श्री प्रवीण कुमार गांधी पुत्र श्री मूलचन्द दास गांधी को किया गया था। इस आवास का नियमितिकरण श्रीमती अनिता माहेश्वरी पत्नी श्री मनोज एवं श्रीमती बाला माहेश्वरी पत्नी श्री प्रमोद कुमार माहेश्वरी के नाम दिनांक 14.06.2018 को संयुक्त रूप से किया गया। इस आवास का पंजीयन श्रीमती अनिता माहेश्वरी पत्नी श्री मनोज एवं श्रीमती बाला माहेश्वरी पत्नी श्री प्रमोद कुमार माहेश्वरी द्वारा दिनांक 19.07.2018 का अपने पक्ष में करवाया गया। पंजीयन उपरांत श्रीमती अनिता माहेश्वरी पत्नी श्री मनोज एवं श्रीमती बाला माहेश्वरी पत्नी श्री प्रमोद कुमार माहेश्वरी द्वारा उक्त आवास का बैचान जरिये विक्रय पत्र आलेखित कर दिनांक 14.09.2018 को श्री रामपाल गुर्जर पुत्र श्री राधाकिशन एवं श्रीमती मधुबाला पत्नी श्री रामपाल गुर्जर को संयुक्त रूप से किया गया। श्री रामपाल गुर्जर पुत्र श्री राधाकिशन एवं श्रीमती मधुबाला पत्नी श्री रामपाल गुर्जर का नाम दिनांक 06.03.2019 को विक्रय पत्र के आधार पर उक्त आवास के मण्डल अभिलेख में दर्ज किया गया। तत्पश्चात् श्री रामपाल गुर्जर पुत्र श्री राधाकिशन एवं श्रीमती मधुबाला पत्नी श्री रामपाल गुर्जर द्वारा उक्त आवास का बैचान जरिये विक्रय पत्र आलेखित कर दिनांक 28.10.2020 को श्रीमती स्वाति श्रृंगी पुत्री श्री योगेन्द्र श्रृंगी को किया गया। श्रीमती स्वाति श्रृंगी पुत्री श्री योगेन्द्र श्रृंगी द्वारा इस कार्यालय में प्रतिवेदन प्रस्तुत कर आवास संख्या 3/124 स्वामी विवेकानन्द नगर, कोटा को विक्रय पत्र के आधार पर अपना नाम आवास के मण्डल अभिलेख में दर्ज करने हेतु आवेदन किया गया है।

अत: इस आवास के मण्डल अभिलेख में श्रीमती स्वाति श्रृंगी पुत्री श्री योगेन्द्र श्रृंगी का नाम विक्रय पत्र के आधार पर दर्ज करने में किसी भी पक्षकार/व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो 15 दिवस के अन्दर इस कार्यालय को सूचित करें। अन्यथा यह मानते हुए कि इस आवास के मण्डल अभिलेख में श्रीमती स्वाति श्रृंगी पुत्री श्री योगेन्द्र श्रृंगी का नाम विक्रय पत्र के आधार पर दर्ज किये जाने में किसी भी व्यक्ति/पक्षकार को कोई आपत्ति नहीं है। उक्त आवास के मण्डल अभिलेख में श्रीमती स्वाति श्रृंगी पुत्री श्री योगेन्द्र श्रृंगी का नाम विक्रय पत्र के आधार पर दर्ज कर दिया जावेगा।

उप आवासन आयुक्त राजस्थान आवासन मण्डल कोटा वृत्त कोटा

कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

क्रमांक:-एफ।1 विक्रय/2025/587 दिनांक:-15.10.25

नाम हस्तान्तरण चाहने बाबत आम सूचना

कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा द्वारा भूखण्ड संख्या 565 विवेकानन्द नगर आवासीय योजना में हस्तान्तरण पत्र क्रमांक 932 दिनांक 20.12.2022 को श्रीमती ज्योति मलिक पत्नी स्व. श्री सत्य प्रकाश मलिक के नाम हस्तान्तरण किया गया था। श्रीमती ज्योति मलिक पत्नी स्व. श्री सत्य प्रकाश मलिक द्वारा उक्त भूखण्ड का जर्ये मुख्तारआम श्री योगेश कुमार नागर पुत्र श्री हरिशंकर नागर द्वारा जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 25.08.2025 को श्री शुभम हरसौरा पुत्र श्री सतीश कुमार हरसौरा एवं साक्षी जैन पुत्री श्री जितेन्द्र कुमार जैन को विक्रय कर दिया गया है। अत: श्री शुभम हरसौरा पुत्र श्री सतीश कुमार हरसौरा एवं साक्षी जैन पुत्री श्री जितेन्द्र कुमार जैन द्वारा उक्त भूखण्ड का स्वामित्व अपने नाम से नामहस्तान्तरण करने हेतु प्राधिकरण में आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

अत: जरिये आम सूचित किया जाता है कि यदि इस नाम हस्तान्तरण की स्वीकृति देने में किसी को भी कोई ऐतराज हो तो विज्ञप्ति जारी होने के 7 दिवस के अन्दर-अन्दर अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर दें, अन्यथा मियाद गुजरने के पश्चात् उक्त भूखण्ड संख्या 565 विवेकानन्द नगर आवासीय योजना का नाम हस्तान्तरण श्री शुभम हरसौरा पुत्र श्री सतीश कुमार हरसौरा एवं साक्षी जैन पुत्री श्री जितेन्द्र कुमार जैन के नाम स्वीकृति जारी कर दी जावेगी।

उपायुक्त कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

क्रमांक:-एफ11 विक्रय/2025/423 दिनांक:-16.10.25

नाम हस्तान्तरण चाहने बाबत आम सूचना

कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा द्वारा भूखण्ड संख्या 891 सुभाष नगर आवासीय योजना में आवंटन पत्र क्रमांक 98 दिनांक 18.04.1991 को श्री विनय चन्द सिन्हा पुत्र श्री एच.सी. सिन्हा के नाम आवंटन किया गया था। श्री विनय चन्द सिन्हा पुत्र श्री एच.सी. सिन्हा द्वारा उक्त भूखण्ड का जर्ये मुख्तारआम श्री वेद प्रकाश तिवारी पुत्र श्री गोपाल प्रसाद तिवारी द्वारा जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 08.10.2025 को श्रीमती आभा सोनी पत्नी श्री संदीप सोनी को विक्रय कर दिया गया है। अत: श्रीमती आभा सोनी पत्नी श्री संदीप सोनी द्वारा उक्त भूखण्ड का स्वामित्व अपने नाम से नामहस्तान्तरण करने हेतु न्यास में आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

अत: जरिये आम सूचित किया जाता है कि यदि इस नाम हस्तान्तरण की स्वीकृति देने में किसी को भी कोई ऐतराज हो तो विज्ञप्ति जारी होने के 7 दिवस के अन्दर-अन्दर अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर दे, अन्यथा मियाद गुजरने के पश्चात् उक्त भूखण्ड संख्या 891 सुभाष नगर आवासीय योजना का नाम हस्तान्तरण श्रीमती आभा सोनी पत्नी श्री संदीप सोनी के नाम स्वीकृति जारी कर दी जावेगी।

उपायुक्त कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

कार्यालय कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

क्रमांक:-एफ-15/कृ.भू.रू./2025/1265 **विज्ञप्ति** दिनांक:-16.10.2025

सर्व साधारण को जर्ये विज्ञप्ति सूचित किया जाता है कि ग्राम बोरखेडा में स्थित कृषि भूमि योजना गायत्री विहार खसरा नं. 97 में स्थित भूखंड संख्या 18 आवेदक/आवेदिका श्रीमती सकीना पत्नी श्री मोहम्मद आरिफ निवासी सरकारी आवास क्वाटर नं. जे/4 सिटी पुलिस लाईन कोटा राज. द्वारा ऑनलाईन नाम हस्तान्तरण हेतु प्राधिकरण कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत किया गया है। उक्त भूखंड का पट्टा क्रमांक 1238 दिनांक 11.03.2013 को श्री मो. नासिम पुत्र श्री मो. इलियास के पक्ष में जारी किया गया था। पट्टाधारी द्वारा उक्त भूखंड का बैचान जर्ये रजि. विक्रय पत्र दिनांक 05.08.2014 को जर्ये मुख्तारआम मुन्ना अली पुत्र श्री जनाब इश्हाक मोहम्मद द्वारा आवेदिका के पक्ष में किया गया है।

अत: श्रीमती सकीना पत्नी श्री मोहम्मद आरिफ के पक्ष में नाम हस्तान्तरण जारी किये जाने में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो अन्दर 7 योम कार्यालय में उपस्थित होकर अथवा लिखित में अद्योहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करें। मियाद गुजर जाने के बाद आपत्ति मान्य नही होगी।

उपायुक्त कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

शराब व्यापारी पर फायरिंग के दो आरोपियों को गिरफ्तार किया

■ पूर्व में दो नाबालिग किये थे निरूद्ध

कोटा, (निसं)। कैथूनीपोल थाना इलाके में शराब व्यापारी पर फायरिंग व चाकू से जानलेवा हमले के दर्ज मामले में पुलिस टीम ने कार्यवाही करते हुए दो हमलावरों को गिरफ्तार किया है, साथ ही पुलिस टीम ने मामले में पूर्व में दो नाबालिगों को विधि संघर्षरत निरूद्ध किया है।

शहर पुलिस अधीक्षक तेजस्वनी गौतम ने बताया कि 2 अक्टूबर को डॉग को लेकर मॉर्निंग वॉक पर निकले शराब व्यापारी संदीप सोलंकी पर बाइक सवार चार बदमाशों ने जानलेवा हमला करते हुए फायरिंग कर दी और चाकू से हमला किया।

शहर एसपी ने बताया कि मामले को गंभीरता से लेते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी के लिये शहर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दिलीप सैनी के निर्देशन में पुलिस उप अधीक्षक राजेश कुमार टेलर के सुपरविजन में कैथूनीपोल थानाधिकारी पुष्पेन्द्र बंसीवाल के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया।

शहर एसपी ने बताया कि हमले में घायल संदीप सोलंकी ने बयान में मनीष और तोसिबा के नाम बताये। शहर एसपी ने बताया कि गठित टीम ने घटनास्थल के आस-पास लगे सीसीटीवी कैमरो के फुटैज खंगाल कर आरोपियों की पहचान की।

पुलिस टीम ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिये संभावित स्थानों पर दबिश देते हुए पूर्व में मामले में वांछित 2 नाबालिगों को विधि संघर्षरत निरूद्ध किया उक्त घटना को अंजाम देने वाले मुख्य आरोपी मनीष व तोसिब की तलाश जारी थी।

शहर एसपी ने बताया कि मुखबीर से पुलिस टीम को सूचना मिली की फायरिंग के दो आरोपी मनीष और तोसिब रावतभाटा से कोटा की ओर आ रहे है, उक्त सूचना पर आरोपियों की गिरफ्तारी के लिये कैथूनीपोल थानाधिकारी मय टीम रावतभाटा रोड पर पहुंचे जहां दो जने बाइक पर आते हुए नजर आये।

शहर एसपी ने बताया कि पुलिस टीम को देखकर आरोपी बाइक को तेज गति से भगाते हुए फोरस्ट चौकी की टूटी दीवार से जंगल की ओर भागने लगे तो तेज गति से बाइक चलाने के कारण कच्चे रस्ते पर बाइक का संतुलन बिगड़ गया और बाइक फिसलने से दोनों आरोपी गिर गये जिससे उनके चोटें पहुंची, पुलिस टीम ने आरोपियों का पीछा कर दोनों आरोपियों को मौके से डिटेन कर प्राथमिक उपचार के बाद पूछताछ कर प्रकरण में गिरफ्तार किया।

पुलिस टीम ने संदीप सोलंकी पर जानलेवा हमले के मामले में कार्यवाही करते हुए न्यू साबरमती कॉलोनी निवासी मनीष कुमार नरवाल (22), कैथूनीपोल निवासी अब्दुल तोसिब उर्फ तोसिबा (19) को गिरफ्तार कर लिया। शहर एसपी ने बताया कि पकड़े गये आरोपियों से पूछताछ में सामने आया कि पकड़े गए आरोपी मनीष व तोसिबा का परिवादी संदीप सोलंकी के भांजे तुषार से पूर्व में लड़ाई -झगड़ा चल रहा था, जिस पर पूर्व में परिवादी के भांजे ने भी पकड़े गये आरोपियों पर हमला किया था। उसी बात की रंजिश के चलते पकड़े गये आरोपियों ने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया। पकड़े गये आरोपियों से अनुसंधान किया जा रहा है।

वृद्व महिलाओं से ठगी करने वाले इनामी गिरोह का पर्दाफाश, चार आरोपी गिरफ्तार

कोटा, (निसं)। शहर पुलिस अधीक्षक तेजस्वनी गौतम ने बताया कि 11 अक्टूबर को फरियादिया वृद्व ने किशोरपुरा थाने में रिपोर्ट दी। रिपोर्ट में कहा कि घोड़े वाले बाबा चौराहे पर रात्रि को जीप से उतरी थी, जहां पर दो व्यक्ति मिले और कहा कि जिनके लड़का हुआ है उनको 2 हजार रूपये इनाम में दिये जा रहे है जिस पर बातों में आकर उनके साथ थोड़ी दूर चली तो रास्ते में उन्होंने एक बैंक के बाहर सीढ़ियों पर बैठा दिया और कहा कि तुम्हारे जैवर उतार दो नहीं तो रूपये नही मिलेंगे। रिपोर्ट में कहा कि दोनों व्यक्तियों की बातों में आकर अपने जेवर उतार दिये और दोनों ने जेवर लेकर कहा कि हम अभी आ रहे है और वापस नहीं आये। शहर एसपी ने बताया कि वृद्वा की रिपोर्ट पर मामला दर्ज किया गया। शहर एसपी ने बताया कि वृद्व महिला के साथ हुई ठगी के मामले को गंभीरता से लेते हुए शहर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दिलीप सैनी के निर्देशन में पुलिस उप अधीक्षक योगेश शर्मा के सुपरविजन में किशोरपुरा थानाधिकारी भूरि सिंह के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया। शहर एसपी ने बताया कि अज्ञात आरोपियों के फरार होने की संभावना को देखते हुए आरोपियों पर 10-10 हजार के इनाम की राशि घोषित की गई। शहर एसपी ने बताया कि किशोरपुरा थानाधिकारी भूरि सिंह के नेतृत्व में गठित टीम ने तकनिकी आधार पर मुखबीर की सूचना पर कार्यवाही करते हुए चार आरोपी गिरफ्तार किये जिनमे दो आरोपियों को बापर्दा गिरफ्तार किया गया। पुलिस टीम ने मामले में कार्यवाही करते हुए महाराष्ट्र के रेणकापुर निवासी दिलीप (40) एवं रामपुरी निवासी शिवाजी (35) को बापर्दा व ग्राम साखला पलट गंगाखेड निवासी संतोष काले (30) और महाराष्ट्र के ग्राम पालम निवासी अविनाश काले (25) को गिरफ्तार किया। शहर एसपी ने बताया कि पकड़े गये आरोपियों ने किशोरपुरा के साथ-साथ गुमानपुरा व नयापुरा में भी ठगी की वारदात को अंजाम दिया था। पकड़े गये आरोपियों से माल बरामदगी संबध में अनुसंधान जारी है।

खाद्य सुरक्षा योजना से अपात्र 31 अक्टूबर तक नाम हटवा सकते हैं

कोटा, (निसं)। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत गिव-अप अभियान चलाया जा रहा है। इसके अंतर्गत अपात्र परिवार 31 अक्टूबर तक स्वेच्छा से योजना से अपना नाम हटवा सकते हैं।

जिला रसद अधिकारी ने बताया कि गिव-अप अभियान का उद्देश्य पात्र लाभार्थियों तक ही योजना का लाभ पहुँचाना है। उन्होंने कहा कि निष्कासन श्रेणी में आने वाले परिवार खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत राशन प्राप्त करने के पात्र नहीं हैं। उन्होंने अपात्र परिवारों से अपील की है कि वे अपनी नज़दीकी राशन दुकान पर उपलब्ध स्वघोषणा प्रार्थना पत्र भरकर जमा कराएं और स्वविवेक से योजना से अपना नाम हटवाएं।

इससे वे आगामी दण्डात्मक कार्यवाही से बच सकेंगे। जिला रसद अधिकारी ने बताया कि जो अपात्र लाभार्थी 31 अक्टूबर तक स्वेच्छा से नाम नहीं हटवाएंगे, उनसे 1 नवम्बर से गेहूं की वसूली की जाएगी। उन्होंने बताया कि जिला रसद कार्यालय एवं उपखण्ड कार्यालयों में बड़ी संख्या में अपात्र परिवार अपने नाम स्वेच्छा से हटवा रहे हैं। विभाग द्वारा पात्रता सत्यापन की प्रक्रिया डोर-टू-डोर जांच के माध्यम से की जा रही है तथा नए लाभार्थियों की पात्रता की नियमित मॉनिटरिंग भी की जा रही है।

उमंग स्वदेशी मेले का आयोजन सफल हुआ

छबड़ा (निसं)। स्वदेशी जागरण मंच एवं कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स वूमेन के सहयोग से यहां के गायत्री मंदिर परिसर में आयोजित उमंग स्वदेशी मेले का आयोजन सफल रहा। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि स्वदेशी जागरण मंच के प्रांत संयोजक डॉ. संत कुमार एवं कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के चार्टर मनोज ड्रोलिया रहे।

प्रचार प्रसार प्रमुख अमन चांडक ने बताया कि संत कुमार ने कहा कि स्वदेशी की अवधारणा 150 वर्ष से भी अधिक पुरानी है। यह लोकमान्य तिलक, वीर सावरकर, अरबिंदो और दत्तोपंत के दूरदर्शी नेतृत्व में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए एक मार्गदर्शक शक्ति थी। ब्रिटिश उपनिवेशवाद से आजादी के दशकों बाद तक भी यह महसूस किया गया कि संपूर्ण आर्थिक स्वतंत्रता के लिए स्वदेशी को जीवन शैली में अपनाना आवश्यक है। ड्रोलिया ने सम्बोधित करते हुए कहा कि जिले में स्वदेशी मेले का आगाज करने का उद्देश्य स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के साथ छोटे उद्योग में महिलाओं को रोजगार से जोडना है। इसी क्रम में यहां उमंग स्वदेशी मेले की शुरुआत हो चुकी है। यहां स्थानीय उत्पादों को बडा बाजार मिला। खास बात यह है कि यह स्वदेशी मेला बुनकरों के साथ-साथ महिलाओं को भी स्वावलंबी बन रहा है। महिला उद्यमी शोभा माहेश्वरी ने बताया कि हम महिलाओं के लिए सबसे खास बात यह है कि हम घर पर समय निकालकर के उन उत्पादों को तैयार कर रहे हैं और उन्हें बाजार देने के लिए हमें यहां वहां भटकना नहीं पड रहा है बल्कि इस मेले के माध्यम से हम एक मंच मिला है, जहां यहां पर लोग खरीदारी कर रहे हैं हमें मुनाफा भी मिल रहा है और हमारी न पहचान भी बन रही है। संचालन कविता जैन ने किया। संयोजक अनामिका जैन ने सभी का आभार व्यक्त किया। अलग-अलग उत्पाद प्रदर्शित- मेले में जहां पर छबड़ा ही नहीं बल्कि पूरे हाडौती के अलग-अलग उत्पादों को प्रदर्शित किया गया है। जहां स्थानीय लोग इन हैंडीक्राफ्ट के उत्पादन की खरीदारी की खूब कर रहे हैं। इस खरीदारी का आंकड़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि दो दिन के इस मेले में यहां पर लगभग नौ लाख रूपए से ज्यादा के उत्पादों की बिक्री हुई। स्वदेशी मेला दे रहा रोजगार- मेले में बाघ की साड़ी, यहां की हैंडीक्राफ्ट उत्पाद, हाथ से बने हुए क्रोशि, के बक्कल, इसमें आयुर्वेद के हाथ से बने हुए प्रोडक्ट भी खूब चर्चा में रहे।

स्वनिधि योजना को लेकर बैठक, 15 लोन वितरित

कोटा, (निसं)। नगर निगम दक्षिण सभागार में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत एक कैंप का आयोजन किया गया। कैंप में अध्यक्षता नगर निगम दक्षिण आयुक्त ओमप्रकाश मेहरा ने की। उन्होंने उपस्थित सभी बैंकों को निर्देश दिए कि योजना में अधिक से अधिक ऋण स्वीकृत एवं वितरण करें तथा लक्ष्यों के अनुरूप प्राप्त आवेदनों का निस्तारण समयबद्ध रूप से सुनिश्चित करें।

लीड बैंक मैनेजर दिलीप कौर ने बताया कि इस अवसर पर 15 लोन का वितरण किया गया एवं 30 खातों का सैंक्शन किया गया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का उद्देश्य स्ट्रीट वेंडर्स एवं असंगठित क्षेत्रों में कार्य करने वाले लोगों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। कार्यक्रम में स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ़ इंडिया, बैंक ऑफ़ बडौदा सहित अन्य बैंकों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। आयुक्त ओमप्रकाश मेहरा ने कहा कि बैंक संस्थाओं का सक्रिय सहयोग योजनाओं को जन-जन तक पहुँचाने में अहम भूमिका निभाता है। उन्होंने सभी बैंक प्रतिनिधियों का आभार जताते हुए योजना के प्रभावी क्रियान्वयन पर बल दिया।

सार-समाचार

शिविर में 413 आवेदनों का निस्तारण

कोटा, (निसं)। गुरुवार को नगर निगम कोटा के प्रशासनिक भवन स्थित स्वागत हॉल में चल रहे शहरी सेवा शिविर 2025 में नगर निगम कोटा दक्षिण में कुल 413 आवेदनों का निस्तारण किया गया, जिनमें भूमि संबंधित मामले 111, सड़क, नाली मरम्मत के 5, स्ट्रीट लाईट के 23, जन्म-मृत्यु, विवाह के 69, पीएम स्वनिधि के 3, जनाधार नामांकन व अद्यतन 68, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदन के 8, एन एफ एस ए आधार सीडिंग के 47, एन एफ एस ए ई-के वाई सी के 48, सामाजिक सुरक्षा पेंशन सत्यापन के 11, पालनहार योजना के 2 आवेदनों का निस्तारण किया गया, साथ ही शहरी सेवा शिविर में चल रहे चिकित्सा शिविर के लाभान्वितों की संख्या 18 रही। शहर में विभिन्न स्थानों से कैम्प में सफाई कार्य से जुड़ी जो शिकायते प्राप्त हुई उनका भी त्वरित निस्तारण किया गया। इसी क्रम में अगला शुक्रवार को नगर निगम कोटा दक्षिण के सभी वार्डों के लिए नगर निगम के प्रशासनिक भवन स्थित स्वागत हॉल में आयोजित किया जायेगा।

स्वागत समारोह आयोजित

कोटा, (निसं)। मां भारती शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय स्वामी विवेकानन्द नगर में 7 से 15 अक्टूबर तक नये विद्यार्थियों के स्वागत के लिए स्टूडेंट वेलकम प्रोग्राम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि महाविद्यालय चैयरमेन महेश विजय, डाक्टर नीना विजय, कमलेश कुरंकर, महाविद्यालय की प्राचार्या डाक्टर कंचन गोयल तथा राजकीय कला महाविद्यालय कोटा के हिन्दी विभाग के विभागाध्यक्ष डाक्टर आदित्य गुप्ता उपस्थित रहे। कार्यक्रम में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया।

शिविर में 51 यूनिट रक्तदान

छबड़ा (निसं)। भारत विकास परिषद शाखा व आर्य समाज सेवा समिति द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन आदर्श विद्या मंदिर छबडा परिसर में किया गया, जिसमें 51 यूनिट ब्लड डोनेशन हुआ। यहां आर्य समाज सेवा समिति के संस्थापक रमेश चंद गुप्त एवं संचालक महेन्द्र कुमार गुप्त, बलवीर सिंह, परिषद अध्यक्ष ओम प्रकाश मालव, सचिव ओम नारायण गालव, कोषाध्यक्ष सुनीलदत्त भार्गव आदि रहे।

चैन स्नेचिंग के दो आरोपी बापर्दा गिरफ्तार

कोटा, (निसं)। दादाबाड़ी पुलिस टीम ने चैन स्नेंचिंग के दर्ज मामले में कार्यवाही करते हुए दो आरोपियों को बापर्दा गिरफ्तार किया है। शहर पुलिस अधीक्षक तेजस्वनी गौतम ने बताया कि 22 सितम्बर को फरियादिया ने थाने में रिपोर्ट दी। रिपोर्ट में कहा कि स्कूटी से अपनी मां को लेकर जाते समय बाईक सवार बदमाशों ने पीछा करते हुए मां के गले में पहनी हुई सोने की चैन पर झपटा मारकर तोड़कर ले गये। शहर एसपी ने कहा कि फरियादिया की रिपोर्ट पर मामला दर्ज किया गया। मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी के लिये पुलिस उपअधीक्षक योगेश शर्मा के सुपरविजन में दादाबाड़ी थानाधिकारी मांगेलाल यादव के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया। शहर एसपी ने बताया कि गठित टीम ने तकनिकी आधार व मुखबीर की सूचना पर कार्यवाही करते हुए कलाल खुर्द निवासी पवन सुमन एवं ग्राम खेड़ा रामपुर निवासी पवन कुशवाह को बापर्दा गिरफ्तार किया। पकड़े गये आरोपियों से पूछताछ में सामने आया कि शौक पूरा करने के लिये चैन लूटने की वारदात को अंजाम देते है, पकड़े गये आरोपियों ने रेलवे कॉलोनी, भीमगंजमंडी व बोरखेड़ा क्षेत्र में भी वारदात करना स्वीकारा है। आरोपियों से अनुसंधान किया जा रहा है।

आरोपी बापर्दा गिरफ्तार:- कुन्हाड़ी पुलिस टीम ने महिला के गले पर झपट्टा मारकर मंगलसूत्र छीनकर ले जाने के दर्ज मामले में कार्यवाही करते हुए आरोपी को बापर्दा गिरफ्तार किया हैं। कुन्हाड़ी थानाधिकारी अरविन्द्र भारद्वाज ने बताया कि 15 अक्टुबर को महिला ने रिपोर्ट दी। रिपोर्ट में कहा कि पैदल घर आ रही थी दो जने बाईक पर आये और गले पर झपट्टा मारकर मंगलसूत्र जिसमें 10 मोती सोने के एवं पेडल था छीनकर ले गये। थानाधिकारी ने बताया कि मामला दर्ज कर घटनास्थल के आस-पास लगे सीसीटीवी फुटैज के आधार पर